प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 27.07.2019

अवैध असलहा सप्लायर गिरफ्तार, 02 अदद नाजायज पिस्टल बरामद –

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री अभिषेक सिंह के निर्देश पर जनपद प्रतापगढ़ के सभी थानाक्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कम में कल दिनांक 26.07.2019 को थाना को0नगर के उ0नि0 अरूण सिंह मय हमराह थानाक्षेत्र को0नगर के पुराना माल गोदाम रोड पूर्वी सहोदरपुर में मौजूद थे, तभी स्वाट टीम के उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह मय स्वाट टीम वहीं आ गये और अवगत कराये कि एक व्यक्ति जो अवैध असलहों का सप्लायर है भगवा चुंगी से नया माल गोदाम कासिंग की तरफ आने वाला है। इस पर उक्त दोनो पुलिस टीम नया माल गोदाम रेलवे कासिंग पर पहुंच कर अपने को छिपाते हुये उस संदिग्ध व्यक्ति का इन्तजार करने लगे कि कुछ देर बाद एक व्यक्ति पैदल ही दाहिने हाथ में सफेद रंग का झोला लिये आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम द्वारा आगे बढ़कर रेलवे कासिंग से 10–15 कदम पहले ही रोक कर पकड़ लिया गया, पकड़े गये व्यक्ति के दाहिने हाथ में टंगे झोले को खोलकर देखा गया तो उसमें दो अदद पिस्टल .32 दिखाई दी जिसके कागजात उसके पास नही थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01. अमित सिंह उर्फ गोपी पुत्र राजेन्द्र बहादुर सिंह नि0 बडनपुर बेलखरान थाना को0नगर जनपद प्रतापगढ़।

प्रकाश में आये अभियुक्त का विवरण–

01. मुजीब पुत्र अज्ञात नि0 हरिहरपुर, रामपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी–

01. 02 अदद पिस्टल .32 बोर।

पूछताछ का विवरण–

पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ में अभियुक्त अमित सिंह द्वारा बताया गया कि यह जो पिस्टल मेरे पास से बरामद हुई है, इसे मै मुजीब नि0 हरिहरपुर, रामपुर थाना मान्धाता प्रतापगढ़ से खरीद कर लाया हूं जिसे मै बेचने के लिये जा ही रहा था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

पुलिस टीम–

- उ0नि0 अरूण कुमार सिंह, आरक्षी सौरभ कुमार थाना को0नगर।
- उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह, मु0 आरक्षी जाहिद खां, आरक्षी प्रवीण कुमार, आरक्षी महेन्द प्रताप, आरक्षी कुंवर मोहन सिंह व आरक्षी सुशील स्वाट टीम प्रतापगढ़।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

- **जनपद के थाना को0नगर से प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र नाथ** मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0– 289/19 धारा 2/3 **गैंगेस्टर एक्ट में** वांछित अभियुक्त गोविन्दा उर्फ गोविन्द पुत्र राजेन्द्र कुमार नि0 अजीत नगर थाना को0नगर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र को0नगर के भगवा चौराहे से गिरफ्तार किया गया।
- **जनपद के थाना आसपुर देवसरा से प्रभारी निरीक्षक अनुपम शर्मा मयहमराह द्वारा मु0अ0सं0–45/18 धारा 419, 420, 467, 471, 272, 273 भादवि व 60/63 कापी राईट एक्ट में वांछित अभियुक्त संदीप सिंह पुत्र लाल जीत सिंह नि0 बिनैका थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र आसपुर देवसरा के सुल्तानपुर हाइवे से गिरफ्तार किया गया।**